# न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

**पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन नं0 **266/2022**

प्रार्थी :- भूराराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी भाडियावास तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा
2. हल्का पटवारी हल्का मूंगडा तह. पचपदरा।

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्**

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

**उपस्थिति :- 1.श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थी**
**2.सरकारी पैरोकार**

**'आदेश'** दिनांक :- 16.08.2022

प्रार्थी की ओर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 125, 131 आर.एल.आर अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा भाण्डियावास पटवार हल्का मूंगडा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत मूल खसरा संख्या 10 अवस्थित रहा है, मूल खसरा संख्या 10 के अलग तरमीमी खसरा बने, जिसमें प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के खसरा सं. 857/10 रकबा 17-10 बीघा खेत खसरा संख्या 859/10 रकबा 24 बीघा है। राजस्व रेकर्ड में मूल खसरा संख्या 10 का तरमीमी खसरा संख्या 897/10 बनाया गया, जिसकी अशुद्व गलत तरीके से तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस में बिना कब्जे के की गई जिसकी जानकारी प्रार्थी को हुई तब उक्त तरमीमी बाबत् न्यायालय में मु.सं. 18/2012 बअनवान भूराराम बनाम सरकार वगैरा प्रस्तुत किया गया जो अंतिम रूप से तारीख 15.7.2022 को निर्णित किया जाकर अशुद्व तरमीम को हटाने का आदेश पारित किया, यहां यह निवेदन करना उचित है,कि प्रकरण संख्या 18/12 दायर हुआ, उस रोज मूल खसरा सं. 10 में अन्य किसी खसरा की कोई तरमीम अंकित नहीं थी, किन्तु प्रकरण के विचाराधीन रहते मौके के कब्जा काश्त व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज रकबा के विपरीत तरमीम का उपक्रम किया जाकर तरमीम दर्ज कर दी गई, जिसमे प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा सं. 857/10, 859/10 का रकबा भी शामिल है, उक्त तरमीम भी अशुद्व गलत है, ऐसी तरमीम को दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी को कोई सुनवाई सबूत का मौका नहीं दिया गया, प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा [illegible] जिसका रकबा 17-10 बीघा है, जबकि तरमीम अनुसार मात्र [illegible] तथा खसरा संख्या 889/10 जिसका रकबा 24 बीघा है, जो तरमीम अनुसार [illegible] ही बनता है, अलावा इसके लट्ठा नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन तरमीम में भी भिन्नता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:57:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत के खसरा संख्या 10 जिसके वर्तमान तरमीमी खसरा संख्या 859/10 रकबा 24 बीघा, खसरा संख्या 857/10 रकबा 17-10 बीघा मौजा भाण्डियावास पटवार क्षेत्र मूंगडा के नक्शा लट्ठा ट्रेस में माफिक मौके पर स्थापित कब्जा काश्त अनुसार जमाबंदी में दर्ज रकबे की तरमीम अंकित करने का निवेदन किया है ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन को जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1व 2 के सम्मन बाद तामिल के प्राप्त हुए। तहसीलदार पचपदरा को इस न्यायालय के द्वारा क्रमांक–राज/वाद/2022/651 दिनांक 4.08.2022 को उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब व मौका रिपोर्ट करने हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक क्रमांक/ भू0अ0/2022/1601 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया की मौके पर खसरा संख्या 857/10 में प्रार्थी भूराराम की रहवासी ढाणी बनी हुई तथा बबुल को झाडियों एवम् छिणो (पत्थर की पटि्टया) से तारबंदी की हुई तथा मौके पर काश्त की हुई है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई है तथा मौके पर कब्जा 14–05 बीघा है जो संलग्न परिशिष्ठ 'ब' के द्वारा दर्शत भूमि है। तथा खसरा संख्या (859/10) में प्रार्थी भूराराम के पुत्र जुगताराम का एक रहवासी पडवा (लोहे के पात) है तथा दो तरफ (दक्षिण व पूर्व) पक्की बाऊण्डरी बनी है तथा दो तरफ छिणों की बाड की हुई (उतर–पूर्व) हैं तथा मौके पर प्रार्थी के पुत्र जुगताराम का 21–15 बीघा भूमि पर ही कब्जा है जबकि रेकर्ड अनुसार 24 बीघा भूमि दर्ज है तथा खसरा संख्या 857/10 में प्रार्थी का कब्जा 14–05 बीघा है जबकि रेकर्ड अनुसार 17–10 बीघा है । वर्तमान लट्ठा ट्रेस परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है जबकि मौके की स्थिति रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है, उक्तानुसार दुरस्ती की जावें ।

प्रार्थी स्वंय की व पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया , बहस के दौरान प्रार्थी के द्वारा ग्राम भाण्डियावास के खेत खसरा नम्बर 857/10 रकबा 17–10 बीघा, खसरा संख्या 859/10 रकबा 24 बीघा की भूमि की नक्शे मे गलत तरमीम करने के संबध में तहसीलदार पचपदरा के द्वारा भी प्रार्थी के खेतों की नक्शें में गलत तरमीम को दुरूस्ती किये जाने की अपनी सहमति प्रकट की गयी।

हमने पत्रावली में संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी मय नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत जवाब/ जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 857/10 रकबा 17–10 बीघा, खसरा संख्या 859/10 रकबा [illegible] की भूमि प्रार्थी के मौके पर कब्जे काश्त के विपरित की गयी गलत तरमीम [illegible] किया गया है, उक्त भूमि की नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' में वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने मे किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:57:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर मौजा भाण्डियावास पटवार हल्का मूंगड़ा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नम्बर 857/10 रकबा 17-10 बीघा, खसरा संख्या 859/10 रकबा 24 बीघा विवादित आराजी की पटवारी हल्का के द्वारा गलत रूप की गयी तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाइ गयी वर्तमान मौके की स्थिति के मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करने राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस में किया जाना सुनिश्चित करके पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू.अभिलेख अधिकारी(एसडीओ)
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:57:35 IST
Reason: SelfAttested